परिशिष्ट:- 01

प्राधिकृत अधिकारी - जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन तथा मुख्य अस्पताल अधिक्षकों - के मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 के अंतर्गत प्रावधानित शक्तियाँ |

धारा	प्रावधान
53	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो COVID-19 से संक्रमित है, इस हेतु चिन्हित स्थान पर अलग (isolate/quarantine) किया जा सकता है |
57	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति - जिसके पास रुकने/रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, उस स्थान पर एक से अधिक परिवार रह रहे हो, संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक चिकित्सा पर्यवेक्षण की व्यवस्था नहीं हो एवं आस पास के लोगो को संक्रमण की सम्भावना हो - व्यक्ति को चिन्हित अस्पताल अथवा स्थान (isolation/quarantine आदि)में ले जाने के अधिकार है |
61(1)	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, आपात स्थिति में, किसी भी भवन/स्थान में संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रवेश एवं उपयोग किया जा सकता है |
62	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उचित/नियत समय में किसी भी स्थान में संक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर अथवा संशय होने पर निरीक्षण किया जा सकता है |
64	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लोक स्वास्थ्य के हित में किसी भी lodging house, स्थान जहां भोजन बेचा, तैयार, संग्रहित आदि सम्बन्धि कार्य किये जाते है, को नियत अवधि हेतु बंद किया जा सकता है |
66	संक्रमित परिसर अथवा भवन में प्रवेश अथवा ठहरना वर्जित किया जा सकता है |
71(1)	• संक्रमित स्थान एवं संक्रमित स्थान के समीप अन्य स्थानों को खाली करवाया जा सकता है | (a) • संक्रमित स्थान में बहार से आने वाले, समीप के भवन में रहने वाले अथवा पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों का चिन्हित चिकित्सक द्वारा अनिवार्यत: जाँच आदेशित किया जा सकता है | [c(i)] • व्यक्ति को संक्रमण का संशय होने की स्थिति में, उसके कपडे, बिस्तर एवं अन्य वस्तुओं का disinfection आदेशित किया जा सकता है | • किसी भी व्यक्ति को अपना पता देने एवं नियत समय पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जा सकता है | [c(iii)]